

कार्यालय महापौर नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

निर्णय की सत्यप्रतिलिपि
क्रमांक 11

मेयर-इन-कौंसिल की
बैठक दिनांक 10.01.2017

विषय क्र.(11) व्यायाम शाला हेतु भवन उपलब्ध कराने के संबंध में विचार विमर्श एवं निर्णय।

प्रस्ताव :- प्रकरण प्रस्तुत हुआ। तदनुसार उक्त भवन का निर्माण पुस्तकालय उपयोग हेतु किया गया है, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्रों द्वारा खेल शाखा एवं विज्ञान क्लब के रूप में किया जा रहा है। विद्यालय में कमरों की कमी होने तथा अध्यापन कार्य एवं शैक्षणिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से उक्त भवन का आबंटन व्यायाम शाला हेतु दिया जाना सम्भव नहीं है प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- प्रकरण प्रस्तुत हुआ। प्रस्ताव अनुसार उक्त भवन का निर्माण पुस्तकालय उपयोग हेतु किया गया है, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्रों द्वारा खेल शाखा एवं विज्ञान क्लब के रूप में किया जा रहा है। विद्यालय में कमरों की कमी होने तथा अध्यापन कार्य एवं शैक्षणिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से उक्त भवन का आबंटन व्यायाम शाला हेतु नहीं दिये जाने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, साथ ही उक्त भवन को 15 दिवस के अंदर बच्चों के उपयोग हेतु तैयार किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

सचिव

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर
पृ.क्रमांक 420 / सचिव / न.पा.नि. / 2017
प्रतिलिपि :-

महापौर/अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल
नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर
अम्बिकापुर, दिनांक 10.01. / 2017

1. आयुक्त नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

सचिव

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर